जिला उद्योग मित्र बैठक

दिनॉक – 18.05.2022

अध्यक्षताः– श्री युगल किशोर पंत
(आई0ए0एस0)
जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

स्थान– ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम हॉल, कलैक्ट्रेट सभागार,
रूद्रपुर।

क्र. स.	बिन्दु	समस्या	अध्यक्ष / जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश	की गई कार्यवाही
	जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पादित बैठक दिनांक 22.12.2021 के कार्यवृत्त पत्रांक 1102 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा सभी सदस्य गणों को निर्देशों के अनुपालनार्थ प्रेषित की जा चुकी है।			
1	सिड़कुल पंतनगर में विद्युत व्यवस्था के संबंध में	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक आस्थान, पंतनगर में कुल 2200 स्ट्रीट लाईटों के सापेक्ष सिडकुल के विभिन्न सैक्टरो में 2013 लाईटें सुचारु की जा चुकी हैं। उक्त लाईटों में से 248 सोडियम लाईटों के स्थान पर 60 वाट की एल0ई0डी0 लाईटों को लगाये जाने का कार्य गतिमान है तथा शेष लाईटों को अविलम्ब लगा दिया जायेगा।	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल पंतनगर को निर्देशित किया गया कि सिडकुल के ऐसे आन्तरिक मार्ग जहाँ पर स्ट्रीट लाईट पोलों पर लाईट नही लगी हैं, उन पर अतिशीघ्र लाईट लगाना सुनिश्चित किया जाये एवं इससे सम्बन्धित अन्य गतिमान कार्यो को त्वरित गति से पूर्ण कराया जाये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र सं0 166 दिनांक 13 मई, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि 248 सोडियम लाईटों को एल0ई0डी0 लाईटों में परिवर्तित किया जा चुका है। साथ ही Dabur Chowk से Parley Chowk, HCL Chowk से Truck Parking Area, Parking Area से Ban Shakti Mandir, Voltas Chowk से Tata Gate Service Road तक सभी लाईटों की मरम्मत और रख रखाव का कार्य गतिमान है। इसके साथ ही अवगत कराना है कि Voltas Chowk से Tata gate service road, Dabur area, Sector-09, Concor Company, Hndustan Zinc के क्षेत्र में मरम्मत और रखरखाव का कार्य कर दिया गया है।
2	सिडकुल पंतनगर में सड़कों की खराब स्थिति के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पंतनगर द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि महालक्ष्मी पॉलीपैक के समीप से गुजरने वाले मार्ग का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा शेष 5 प्रतिशत कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा। बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सिडकुल पन्तनगर के मुख्य मार्ग के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराया गया कि मुख्य मार्ग की स्थिति अत्यन्त खराब है जिस पर क्षेत्रीय प्रबन्धक	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि माह जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाये व 15 जनवरी, 2022 तक उक्त मार्ग का मरम्मत / पुर्ननिर्माण कार्य आरम्भ कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र सं0 166 दिनांक 13 मई, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि महालक्ष्मी रोड का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सिडकुल के मुख्य मार्ग की मरम्मत व पूनर्निर्माण हेतु मशीनें कार्यस्थल पर पहुचँ चुकी हैं तथा आगामी सप्ताह के भीतर में नवीनीकरण का कार्य

		सिडकुल द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग के मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु रू0 2.54 करोड का बजट स्वीकृति उपरान्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया गया है जिसका एम0ओ0यू0 एक सप्ताह के भीतर सम्पन्न करा लिया जायेगा।		प्रारम्भ कर दिया जायेगा। <u>1– झाड़ियां/साफ–सफाई</u> – झाड़ियां/साफ–सफाई के सम्बन्ध में विगत एक सप्ताह से औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर में कार्य गतिमान है। <u>2– सीवर की सफाइ</u> – सीवर की सफाई विगत एक माह से की जा रही है। <u>3– सड़क मरम्मत</u> – कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क निर्माण हेतु मशीनों को कार्यस्थल पर पहुंचा दिया गया है। एक सप्ताह के भीतर कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा।
3	सिडकुल परिसर में दुकानों एवं शौचालय के आवंटन के सम्बन्ध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पंतनगर द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि दुकानों के आवंटन हेतु टैण्डर प्रक्रिया के तहत 09 दुकानों का आवंटन किया जा चुका है एवं 02 सामान्य शौचालय तथा 02 हाईटैक शौचालय के प्रस्ताव तैयार कर अनुमति हेतु मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त बायोटैक पर्यावरण सोसायटी के माध्यम से उक्त शौचालयों का संचालन कराया जाना प्रस्तावित है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि महिला स्वंय सहायता समूह को उक्त दुकानों में से 01 दुकान आवंटित की जाये एवं सिडकुल मेन्टेनेन्स कमेटी की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र सं0 166 दिनांक 13 मई, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सिडकुल पन्तनगर में फैसिलिटी ब्लाक के अर्न्तगत दुकानों के आवंटन हेतु रिक्त दुकानों की सूचना आख्या/रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 134/क्षे0प्र0/सिडकुल/2022 दिनांक 07.05.2022 के माध्यम से सिडकुल मुख्यालय, देहरादून को अग्रसारित कर दी गई है आवंटन हेतु टैन्डर की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से सम्पन्न की जाती है जो कि गतिमान है।
4	सिडकुल पन्तनगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पंतनगर द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि सिडकुल के मुख्य मार्ग एवं चौराहों पर 48 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने हैं जिनका 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य 10 से 15 दिन में पूर्ण कर लिया जायेगा। उक्त के संचालन/निगरानी हेतु एक कन्ट्रोल रूम सिडकुल कार्यालय में तथा एक सिडकुल चौकी	अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पंतनगर को निर्देशित किया कि कन्ट्रोल रूम में एक स्क्रीन पर 48 कैमरों की वीडियो देख पाना सम्भव नही है। इस हेतु दो से तीन स्क्रीन की व्यवस्था की जाये एवं कन्ट्रोल रूम संचालन हेतु पृथक से दो कार्मिकों को तैनात किया जाये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र सं0 166 दिनांक 13 मई, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल के मुख्य मार्गों एवं चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगा दिये जा चुके हैं जिसका परीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर किया जा रहा है परीक्षण

		में स्थापित किया जायेगा।		का कार्य जल्द पूर्ण करने के उपरान्त एक कन्ट्रोल क्षेत्रीय कार्यालय में एंव एक कन्ट्रोल पुलिस चौकी में दे दिया जायेगा।
5	सिडकुल के मार्ग पर बस चलाने के संबंध मे	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, पन्तनगर द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल पन्तनगर में पूर्व से स्वीकृत बस परमिट के आधार पर निर्धारित रूटों पर सीटी बसों का संचालन पूर्व की भांति हो रहा है, जिसकी दैनिक प्रविष्टी सिडकुल सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती है। समस्त उपस्थिति सदस्यों द्वारा उक्त पर सहमति व्यक्त की गई। सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसायटी सितारगंज के अध्यक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया कि रूद्रपुर से सितारगंज हेतु सीधी बस का संचालन किया जाए ताकि उद्योगों में कार्यरत श्रमिक ससमय कार्य स्थल तक पहूंच सकें।	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल को निर्देश दिए गए कि उक्त व्यवस्था की निरन्तर निगरानी परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए की जाए तथा रूद्रपुर से सितारगंज तक सीधी बस चलाए जाने के संबंध में परिवहन विभाग, रूद्रपुर से वस्तुस्थिति की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जाए।	उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत करायेंगे।
6	रिद्वी सिद्वी कम्पनी के पास बाईपास रोड बनाने के संबंध में	बैठक में क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग में सिचाई विभाग की गूल एवं बिजली पोल है जिसके सम्बन्ध में सिचाई विभाग एवं विद्युत विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। पोलो को शिफ्ट किया जाना है तथा सिचाई विभाग से एन0ओ0सी0 आनी है जिसके बाद आगणन बनाया जाना प्रस्तावित है। विद्युत विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि रू0 2.00 करोड का आगणन भेजा गया है।	जिलाधिकरी महोदय द्वारा अधि0अभि0 सिचाई विभाग,रूद्रपुर/अधि0अभि0 विद्युत वितरण खण्ड रूद्रपुर, अधि0अभि0 लो0नि0वि0 रूद्रपुर/ क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया गया कि सप्ताह में बिजली के पोल हटाये जाने हेतु आगणन तैयार कर लिया जाये तथा सिचाई से एन0ओ0सी0 एंव आगणन के अप्रूवल के लिये भेज दिया जाये तथा एक सप्ताह के भीतर प्रगति से अवगत कराया जाये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र सं0 166 दिनांक 13 मई, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि – 1– पिटकुल द्वारा रू0 249.00 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया है, जो सिडकुल मुख्यालय देहरादून प्रेषित कर दिया गया है। 2– सिंचाई विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। 3– यूपीसीएल रूद्रपुर को लाईन शिफ्टिंग हेतु आगणन प्रस्तुत किया जाना था, यूपीसीएल का संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। संयुक्त निरीक्षण हेतु सांय 04 बजे दिनांक 17.04.2022 की तिथि तय की गई है। 4– लो0नि0वि0 रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि विद्युत सम्बन्धी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आगणन गठित कर सिडकुल, पन्तनगर को प्रेषित कर दिया जायेगा।
7	**Foot over Bridge** के संबंध में	बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि उपस्थित न होने के कारण उक्त बिन्दु पर चर्चा नहीं हो पाई।	अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित बिन्दुओं के समाधान/चर्चा हेतु पृथक से बैठक आयोजित कराई जायें	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि फुट ओवर ब्रिज के प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु भा0रा0रा0प्रा0 मुख्यालय को प्रेषित किया जा चुका है।

8	ई0एस0आई0सी0 अस्पताल से आई0आई0ई0 के समस्त सेक्टर के लिए कनेक्टिंग रोड के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि ई0एस0आई0सी0 हॉस्पिटल में आने–जाने की सुगमता हेतु ई0एस0आई0सी0 अस्पताल को सिडकुल मोटर मार्ग से जोडने एवं कल्याणी नदी के ऊपर पुलिया निर्माण किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। 15 दिन के भीतर पुलिया निर्माण हेतु आगणन तैयार कर लिया जायेगा।	इस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, पन्तनगर को निर्देशित किया कि तय समय अवधि के भीतर कार्य पूर्ण कराया जाय	क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल पन्तनगर द्वारा अपने पत्र सं0 166 दिनांक 13 मई, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से राजस्व विभाग से सम्पर्क किया गया है। राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होना अपेक्षित है तथा वर्तमान में अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग को प्रथम चरण में सिडकुल द्वारा रू0 7.53 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य का विस्तृत सर्वे कर निर्माण कार्य हेतु आगणन जल्द ही क्षेत्रीय कार्यालय सिडकुल को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। कार्य लोक निर्माण विभाग स्तर पर लंबित है।
9	सिडकुल सितारगंज से चोरगलिया तक सड़क की खराब स्थिति के संबंध में	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, सितारगंज द्वारा अवगत कराया है कि सिडकुल द्वारा कार्यदायी संस्था ई0पी0आई0एल0 को पैच मरम्मत करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं कार्यदायी संस्था ई0पी0आई0एल0 द्वारा पैच वर्क का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि खनन डम्पर मुख्य सड़क से औद्योगिक आस्थान की आन्तरिक सड़क पर होते हुए गुजरते हैं, जिससे 05–06 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क उक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की जानी है।	अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, सितारगंज को निर्देशित किया कि खनन वाहनों को रोकने हेतु पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं उपजिलाधिकारी को अवगत कराया जाये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल सितारगंज द्वारा अपने पत्र सं0 5698 दिनांक 13 मई, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपजिलाधिकारी महोदय, सितारगंज से सिडकुल की आन्तरिक सड़कों पर खनन में प्रयुक्त हो रहे वाहनों को रोकने तथा रूट मैनेजमेन्ट हेतु एस0एच0ओ0 सितारगंज को निर्देशित किया जाने का अनुरोध किया गया है।
10	उद्योगों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में	औद्योगिक संघों द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि दानपुर में फीडर में तकनीकि समस्या होने एवं कनेक्शन जोड़ने आदि के लिए समय–समय पर ट्रिपिंग होती है, जिससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होता है। इस पर विद्युत विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दानपुर फीडर में घरेलू एवं औद्योगिक कनेक्शन जुड़े हैं, जिस कारण समय–समय पर तकनीकि समस्याओं के निराकरण हेतु ट्रिपिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही यह भी अवगत	अध्यक्ष महोदय द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर करे निर्देशित किया गया कि यू0पी0सी0एल0 शीघ्र उक्त कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण करना सुनिश्चित करे ताकि उद्योग प्रभावित न हों।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर द्वारा अपने पत्र संख्या 1743 दिनॉक 09.05.2022 से अवगत कराया है कि 33/11 के0वी0 उप संस्थान दानपुर में 08 एम0वी0ए0 पावर परिवर्तक की क्षमता वृद्धि 12.5 एम0बी0ए0 कर दी गई है एवं दानपुर बिजलीघर से निकलने वाले औद्योगिक पोषक पर जो घरेलू संयोजन जुड़े हुए हैं, उनको

		कराया गया कि दानपुर में घरेलू व औद्योगिक फीडर को अलग–अलग करने हेतु सर्वे गतिमान है, जो कि एक माह में पूर्ण कर आगणन तैयार कर लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त दानपुर में 12.5 एम0वी0ए0 पावर का ट्रांसफोर्मर स्थापित किये जाने का कार्य गतिमान है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जयेगा।		औद्योगिक पोषक से अलग करने हेतु प्रांकलन तैयार कर अनुमोदन हेतु भेज दिया गया है। साथ ही औद्योगिक पोषक की लम्बाई ज्यादा होने के कारण पोषक को दो भागों में करने एवं कण्डक्टर बदलने हेतु प्रांकलन तैयार कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा इस कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित कर ली गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त 01 माह के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
11	एल्डिको सिडकुल औ0 पार्क, सितारगंज के फेज–2 में विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में	एस0एस0आई0डब्लू0ए0 के अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सितारगंज फेज–2 में विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब स्टेशन निर्माण का कार्य आतिथि तक अधूरा है जिससे औद्योगिक प्रगति बाधित होती है। इस पर क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि सिडकुल सितारगंज में 03 विद्युत स्टेशनों में 33 के0वी0 का एक–एक ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना है, जिसके क्रम में यूपीसीएल द्वारा ओवर हेड लाइन का 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने का कार्य यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा किया जाना था परन्तु उक्त संस्था द्वारा आवंटित धनराशि को अन्य सिविल कार्यों में व्यय कर लिया गया है, जिस कारण संस्था की जांच हेतु एस0आई0टी0 गठित की जा चुकी है। आतिथि तक 33 केवी का 01 ट्रांसफर ही स्थापित हुआ है। क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु कुल लागत रू0 104.83 करोड़ Approval Cost रू0 61.57 करोड़ रिलीज किया तथा रू0 19.85 करोड़ लम्बित है जिसकों यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा सदुपयोगिता प्रमाण पत्र न दिये जाने के कारण लम्बित है।	बैठक में उपस्थित औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि यू0पी0आर0एन0एन0, यूपीसीएल एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल की एक बैठक पृथक से आयोजित की जाये ताकि लम्बित कार्यों को नियत समय पर पूर्ण कराया जा सके। बैठक अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रस्तावित बैठक का शीघ्र आयोजन किये जाने के निर्देश क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल, सितारगंज को दिये गये।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल सितारगंज द्वारा अपने पत्र सं0 5698 दिनांक 13 मई, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु के अनुपालन में उनके द्वारा एस0डी0ओ0 यूपीसीएल, एस0डी0ओ यू0पी0आर0एन0एन0, परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0आर0एन0एन0 के साथ वीडियों कान्फ्रेन्स आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार कार्य की समीक्षा की गई – 1– एस0डी0ओ0 यूपीसीएल द्वारा अवगत कराया गया कि सब–स्टेशन की ओवरहैड लाईन का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। 2– एस0डी0ओ0 यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा अवगत कराया गया है कि आर0एम0यू0 की टेस्टिंग और कॉम्यूनिकेशनिग कार्य प्रगति पर है। इस सप्ताह के अन्त तक 33 के0वी0 ट्रांसफर तक केबिल बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। दिनांक 30 जून, 2022 तक प्लास्टिक पार्क के समीप 33/11 के0वी0 सब–स्टेशन को सिडकुल/यूपीसीएल को हस्तगत कर दिया जायेगा। 3– परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा अवगत कराया गया है कि सब–स्टेशन का कार्य गतिमान है। दिनांक 07.04.2022 को सिडकुल मुख्यालय में महाप्रबन्धक सिडकुल के साथ हुई बैठक में प्रस्तावित तिथि के अनुसार कार्य पूर्ण करने की ओर

				अग्रसर है। दिनांक 30 जून, 2022 तक प्लास्टिक पार्क के समीप 33/11 केवी सब–स्टेशन को सिडकुल/यूपीसीएल को हस्तगत कर दिया जायेगा। 4– क्षेत्रीय प्रबन्धक, सिडकुल सितारगंज द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य की वर्तमान स्थिति की फोटोग्राफी की जाये। सिडकुल एवं यूपीआरएनएन द्वारा दिनांक 21.05.2022 को पुनः संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा एवं कार्य की प्रगति का आंकलन तथा कार्य प्रगति की समीक्षा की जायेगी। इस सम्बन्ध में यूपीसीएल एवं यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी।
12	सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराए जाने के संबंध में	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सितारगंज द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक सड़क का मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है। सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में अवगत कराया गया कि उक्त सड़क के चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर आतिथि तक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।	बैठक में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, सितारगंज को निर्देश दिये गये कि इस बैठक का उल्लेख करते हुए शासन को पुनः पत्राचार किया जाये एवं प्रगति से अवगत कराया जाये।	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 सितारगंज द्वारा अपने पत्र सं0 689 दिनांक 07.05.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सितारगंज से एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क तक मार्ग के चौड़ीकरण हेतु केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि अन्तर्गत मार्ग को टू–लेन विथ पेब्ड सोल्डर में स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव अनुमानित लम्बाई 24 किमी लागत रू0 85.00 करोड़ का प्रेषित किया गया है, जो शासन स्तर पर विचाराधीन है। वर्तमान में उक्त मार्ग में सड़क की मरम्मत का कार्य इस खण्ड द्वारा पूर्ण कर मार्ग को यातायात हेतु सविधाजनक बनाया गया है।
13	महुआखेड़ागंज रेलवे क्रासिंग से खाईखेड़ा तक रोड की दयनीय स्थिति के संबंध में	औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि महुआखेड़ा गंज से खाई खेड़ा तक रोड की स्थिति बहुत खराब है, जिससे आवागमन में दोगुना समय लगता है एवं जाम लगने के कारण समय भी व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त सड़क का रू0 452.68 लाख का आगणन तैयार कर राज्य सैक्टर अन्तर्गत वित्त अनुभाग से पास हो चुका है, जिसके क्रम में टैण्डर लगाने की प्रक्रिया भी पूर्ण की जा चुकी है। टैण्डर प्रक्रिया के उपरान्त कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा।	बैठक में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर को निर्देश दिये गये कि औद्योगिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण सडक का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर द्वारा अपने संख्या 295 दिनॉक 19.02.2022 से अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 24.850 कि0मी0 है। मार्ग के कि0मी0 11 से 18.500 तक प्रभाग क्षतिग्रस्त है। उक्त 8.500 कि0मी0 में चैनेजवाईज स्थिति निम्नवत् है। 1. Ch.10.000 to 13.700- उक्त प्रभाग का आगणन मुख्य अभियन्ता के पत्रॉक 2279/01याता–हल्द्वानी /2019 दिनॉक 11.6.2021 द्वारा शासन को स्वीकृति हेतु

				प्रेषित है। दिनॉक 09.09.2021 को शासन में आयोजित व्यय वित्त समिति में मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के पुनः निर्माण की स्वीकृति का निर्णय लिया जा चुका है। आतिथ तक स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति उपरान्त ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा। वर्तमान में विभागीय संसाधनों से गड्डे भरान/खड़ंजा लगाकर यातायात सुचारू किया जा रहा है। 2- Ch.13.700 to 16.000- उक्त प्रभाग का आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता कार्यालय के पत्रॉक 4975/ 01 याता–हल्द्वानी दिनॉक 05.10.2021 द्वारा शासन को प्रेषित कर दिया गया है आतिथ तक स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति उपरान्त ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा। वर्तमान में विभागीय संसाधनों से गड्डे भरान/खड़ंजा लगाकर यातायात सुचारू किया जा रहा है। 3. Ch.16.000 to 18.625- मार्ग के इस प्रभाग के पुनः निर्माण की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत प्राप्त है। मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। डी0बी0एम0 प्रथम लेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।
14	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्ट्रीट लाईट के संबंध मे	एसईडब्लूएस के अध्यक्ष द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अशोक लीलैन्ड चौराहे से बाजार तक एक–एक भी लाईट नहीं लगी है, जिससे पैदल यात्रियों/साईकिल से आने–जाने वाले मजदूरों को आवागमन में समस्या उत्पन्न होती है। इस पर प्रबन्धक तकनीकी एनएचएआई रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग का कार्य बाधा मुक्त भूमि न मिल पाने के कारण लम्बित है। सड़क बनाने के उपरान्त ही लाइटों को लगाया जाना सम्भव हो पायेगा।	बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रबन्धक तकनीकी एनएचएआई रूद्रपुर इस हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण की कार्यवाही आरम्भ की जाये ताकि अन्य बाधित कार्य भी सम्पन्न हो सकें।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण रूद्रपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय समस्या के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा लगभग 1.5 वर्ष से निर्माण कार्य की प्रगति बाधित थी। जिस हेतु परियोजना में आ रही बाधाओं का निस्तारण सी0सी0आई0ई0 (Conciliation Committee of Independen Experts) के माध्यम से कराया गया है, जिसके उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण प्रारम्भ किया गया। यह भी अवगत कराया गया है कि परियोजना पी0सी0ओ0डी0 दिनांक 18.12.2021 को निर्गत की जा चुकी

				है, जिसके तहत कार्यदायी संस्था द्वारा 03 माह के भीतर परियोजना में लाईटों/रोशनी का प्रबन्ध कराया जाना था, जिस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है एवं अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था पर हर्जाना लगाये जाने का कार्य किया जा रहा है। शीघ्र की राजमार्ग पर रोशनी/स्ट्रीट लाईट का प्रबन्ध किया जायेगा।
15	नॉन अटेनमैन्ट सिटी काशीपुर के सम्बन्ध में काशीपुर क्षेत्र के उद्यमियों से चर्चा	– नॉन अटेनमेन्ट सिटी काशीपुर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु मुख्य विकास अधिकारी ऊधम सिंह नगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 29.06.2021 को सम्पन्न की गई, जिसमें प्रदूषण की रोक थाम हेतु काशीपुर के उद्यमियों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। इस पर बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, काशीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि यदि नगर निगम, काशीपुर उनको कुछ जगह उपलब्ध करा दे तो उस स्थान पर ग्रीनरी/प्लांटेशन किया जायेगा, जिससे प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।	बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, काशीपुर को निर्देशित किया गया कि काशीपुर नगर निगम के औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से सामन्जस्य स्थापित कर बैठक का आयोजन करें एवं वृक्षारोपण की भूमिका तैयार करें ताकि भूमि की उपलब्धता के अनुसार छोटे अथवा बड़े वृक्ष लगाये जा सके। साथ ही हरेला पर्व के अवसर पर जनपद की समस्त औद्योगिक इकाइयों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यालय परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षा रोपण करें ताकि प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सके।	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, काशीपुर उक्त बिन्दु पर प्रगति से अवगत करायेंगे।
16	सी0एस0आर0 के संबंध में	मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि 52 इकाइयों द्वारा 528 विद्यालयों को विभिन्न इकाइयों द्वारा गोद लिया जा चुका है एवं अन्य विद्यालयों को गोद लेने की कार्यवाही गतिमान है।	बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को निर्देश दिए गए कि पूर्व में जिन औद्योगिक इकाइयों को विद्यालय आवंटित किए गए हैं परन्तु उनके द्वारा विद्यालयों में आतिथि तक कार्यवाही नहीं की गई है, उनको तत्काल कार्यवाही करने हेतु अवगत करायें एवं आगामी बैठक में अद्यतन स्थिति की आख्या सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।	मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर अद्यतन प्रगति से अवगत करायेंगे।
	सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वेलफेयर सोसायटी सिडकुल पन्तनगर से सम्बन्धित बिन्दु			

1	सिडकुल में खराब सड़कों की मरम्मत/नई सड़कें बनाने के संबंध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि बार–बार सड़कों की स्थिति पर सिडकुल कार्यालय को अवगत कराया गया है परन्तु वर्तमान में अनेक ऐसी सड़कें हैं जिनकी स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई हैं जिन में मुख्य रूप से सैक्टर–11 की सर्विस लेन जो कि पानी की टंकी से अनुसुइया ऑटो होते हुए टाटा मोटर्स गेट नम्बर–4 तक जाती है की स्थिति बहुत खराब है और आए दिन इन जगहों पर एक्सीडेंट होते हैं । साथ ही साथ सैक्टर आई.आई.डी.सी. में मैक्सीमा सोल्यूशन के पास, सैक्टर–4 में पार्कसन पैकेजिंग के पास, होलोस्टिक के सामने की सड़कें, बजाज आटो के सामने, अत्यन्त दयनीय स्थिती में हैं । अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस बिंदु की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें ।	चर्चा की जानी है।
2	सिडकुल में स्ट्रीट लाइटों के संबंध में	महोदय हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस दिशा में कुछ कार्यवाही की गई है जिसमें प्रत्येक सैक्टर में कुछ लाईटें जलने लगीं एवं सिडकुल के कुछ ओर क्षेत्र में लाईटों की मरम्मत का कार्य गतिमान है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि नयी तारों को लाईट जलाने हेतु लगाया जा रहा है कुछ दिन बाद ही उस तार को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गायब कर दिया जाता है। लाईटें सुचारू रूप से चल नहीं पा रही हैं, लाईट जलाने के कुछ दिन बाद ही किसी न किसी कारण से खराब हो जाती हैं। चूंकि पूरे सिडकुल में दो ही जगह से लाईटों की कनैक्शन दी गयी हैं, जिसकी वजह से यदि कहीं भी किसी कारण से लाईट खराब होती है तो सिडकुल की सर्विस सड़कों पर जलने वाली लाईटें बन्द हो जाती हैं। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था अति आवश्यक है जिससे चोरी, छेड़खानी, दुर्घटना, आदि को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। अतः महोदय से निवेदन है कि इस दिशा में उचित कार्यवाही की जाए ।	चर्चा की जानी है।
3	सिडकुल में नालियों की सफाई के सम्बन्ध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल क्षेत्र में नाली की सफाई एवं सड़कों की सफाई का कार्य सिडकुल की तरफ से बेहद धीमी गति से किया जा रहा है अथवा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महोदय सिडकुल की सीवर लाईनें लगभग हर जगह चोक हैं इसके बारे में बार–बार सिडकुल कार्यालय को एस.ई.डब्ल्यू.एस. की तरफ से सूचित किया गया है साथ ही साथ जिन उद्योगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उनके द्वारा भी पत्र सिडकुल कार्यालय को दिया गया है। जैसे कि सैक्टर–9 एडविक हाईटेक, दुर्गा फाईबर के पास आई.आई.डी.सी. में, सैक्टर–4 एमीनेन्ट पावर के पास, होलास्टिक के पास, आदि उद्योगों द्वारा पत्र सिडकुल कार्यालय को दिया गया है लेकिन अभी तक कोई भी व्यवस्थित कार्यवाही नहीं की गयी है, पानी के जल जमाव होने से बदबू आना, सड़कों का खराब होना एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षित महसूस नहीं करना बीमारियों के फैलने का डर, आदि जैसी समस्यायें बनी रहती हैं । अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस बिंदु की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें ।	चर्चा की जानी है।
4	सिडकुल में साड़ियों की सफाई के सम्बन्ध में।	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल क्षेत्र में झाड़ियों की कटाई का कार्य सिडकुल की तरफ से बेहद धीमी गति से किया जा रहा है। महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि यहां के सभी उद्योगों में रात की शिफ्ट भी चलते हैं, जिससे कि आने जाने वाले महिला एवं पुरूष कर्मचारियों से छीना–झपटी, बदसुलूकी, मारपीट, आदि जैसी अप्रिय घटनायें होती रहतीं हैं क्योंकि महोदय सिडकुल चौकी में कम पुलिस कर्मचारियों के होने की वजह से शाम के समय जिस समय शिफ्ट छूटती है या आती है के दौरान एवं रात में गश्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी सूचना हमने वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारीगण को भी दी है। महोदय दूसरी तरफ सिडकुल क्षेत्र में झाड़ियों की सफाई नहीं होने की वजह से कर्मचारी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। अतः महोदय आपसे अनुरोध है कि इस बिंदु की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
5	सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल में उद्योगों की संख्या को देखते हुये एवं यहाँ की कानून व्यवस्था एवं ट्रेफिक को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए सिडकुल चौकी को थाने के रूप में परिवर्तित करना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। महोदय आपको बताना आवश्यक है कि सिडकुल में ट्रक मुख्य मार्गों, मुख्य चौराहों, सर्विस लेन एवं उद्योगों के मुख्य द्वार की अगल–बगल में अधिक संख्या में खड़े रहते हैं, सुरक्षा के हिसाब से यह उचित प्रतीत	चर्चा की जानी है।

		नहीं होता है। गलत दिशा से वाहनों का आना व जाना एवं हॉकर्स के द्वारा सिडकुल में स्थिती को असामान्य बनाना जैसे अनेक कारण प्रतीत होता है। इन सारी स्थितियों को देखते हुये पुलिस गश्त को बढ़ाना अति आवश्यक है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाये ।	
6	**ESIC Hospital** एवं सिडकुल के बीच कनैक्टिंग सड़क के संबंध में	महोदय ई.एस.आई.सी. हॉस्पिटल में कार्य शुरू होने पर सिडकुल इन्टरप्रिन्योर वैलफेयर सोसाइटी और सभी उद्योगों की तरफ से बहुत–बहुत धन्यवाद। महोदय भविष्य में इसे और सुचारू रूप से संचालित किये जांए और इस संदर्भ में सिडकुल और ई.एस.आई.सी. हॉस्पिटल के बीच एक कनैक्टिंग रोड बनाने की व्यवस्था की जाये ताकि सभी कर्मचारियों एवं उद्योगों को इसका लाभ मिल सके । अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस पर त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें ।	चर्चा की जानी है।
7	रिद्धी सिद्धी कम्पनी के पास बाईपास रोड बनाने के संबंध में	महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, एस.ई.डब्ल्यू.एस. और क्षेत्रीय प्रबंधक सिडकुल द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण पूर्व में किया जा चुका है जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सड़क बनाने के लिए आदेशित किया जा चुका है। महोदय इस दिशा में कार्य की प्रगति बताने की कृपा प्रदान करें। उपरोक्त विषय में पहले भी आपके ऑफिस में पत्राचार किया जा चुका है ।	चर्चा की जानी है।
8	सिडकुल के कैरोलिया लाईटिंग के पास सड़क पर सैक्टर–3 में बीच सड़क में मोबाईल टावर को हटाने के संबंध में	महोदय आपको अवगत कराना आवश्यक है कि सैक्टर–03 में मुख्य मार्ग के बीचों–बीच में मोबाईल टावर लगाया गया है जो कि सिडकुल के दायरे में आता है। महोदय यहां प्रतिदिन दुर्धटना होती रहती है क्योंकि सामने से कोई आ रहा है यह दिखायी नहीं देता है । हमने पहले भी सिडकुल को पत्र द्वारा सूचित किया है जिसके बाद इसकी जांच भी इनके टैक्नीकल स्टाफ के द्वारा किया जा चुका है । किन्तु अभी तक उस टावर को हटाने की प्रक्रिया नहीं की गयी है। अतः महोदय आपसे निवेदन है कि इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाये।	चर्चा की जानी है।
9	मेन्टीनेन्स चार्ज के संदर्भ में–	महोदय हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल एवं उद्योगों के बीच जो अनुबन्ध होता है उसके अनुसार मेन्टीनेन्स में जितना खर्च आयेगा उसी के अनुरूप प्रतिवर्ष उद्योगों से मेन्टीनेन्स चार्ज के रूप में लेने का प्रावधान है किन्तु किसी कारणवश अभीतक ऐसा नहीं हो रहा है। मनमाने ढ़ंग से सिडकुल प्रतिमीटर के हिसाब से रेट तय करके मेन्टीनेन्स चार्ज का बिल प्रत्येक उद्योगों से ले लेता है जो कि अत्यन्त खेद का विषय है । अतः महोदय आपसे निवेदन है कि इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाये।	चर्चा की जानी है।
10	मैट्रोपोलिस मॉल के पास हाईवे पर कट बनाने के संबंध में–	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर में कार्यरत अधिकतर पदाधिकारी/कर्मचारी मैट्रोपोलिस सिटी एवं ओमैक्स रिवियेरा से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुये आते जाते हैं। मैट्रोपोलिस मॉल के पास हाईवे पर कट नहीं होने की वजह लगभग एक किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ता है। जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है । महोदय, आपसे निवेदन है कि जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कट देने की स्वीकृती नही मिलती है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रेड लाईट/ट्रेफिक लाईट लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित कि जाये । अतः महोदय से निवेदन है इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाये ।	चर्चा की जानी है।
11	कूड़े के निस्तारण के सम्बन्ध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते है कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों से निकलने वाले सूखे कूड़े, गीले कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था सिडकुल द्वारा नगर निगम रूद्रपुर को दी गयी है । इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं । सिडकुल पन्तनगर के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार नगर निगम की 10 गाड़ियां हूटर के साथ लगायी गयीं हैं, परन्तु किन्ही अपरिहार्य कारणों की वजह से कूडा उठाने की व्यवस्था जो सिडकुल द्वारा प्रदान की गयी है वह व्यवस्थित ढ़ंग से नहीं हो पायी है किन–किन सैक्टरों में कब कब गाड़ियां जाती है एवं उन गाड़ियों के पहुचनें का समय क्या है इसकी स्पष्टता नहीं है । सिडकुल ढ़ाल पर जहाँ ट्रक पार्किगं बनायी गयी है वहाँ हमेशा कूड़े का ढ़ेर लगा रहता है, बद्‌बू आती रहती है । वहाँ से बहुत महिला/पुरूष कर्मचारी सिडकुल में ड्यूटी के लिए आते जाते रहते हैं । यह भारत सरकार द्वारा चलायी गये स्वच्छ भारत अभियान का उल्लंधन भी है । अतः महोदय से निवेदन है कि इसके संबंध में त्वरित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाये ।	चर्चा की जानी है।
12	टाटामोटर्स पंतनगर मार्ग पर	महोदय हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 109 (ओल्ड नम्बर एन.एच. 87) जो कि टाटा	चर्चा की जानी है।

	सर्विस लेन के संदर्भ में–	मोटर्स लिमिटेड पंतनगर के बाउन्ड्रीवाल से होते हुए लाल कुआँ को जाती है जिस पर टाटा मोटर्स के मुख्य निकास एवं प्रवेश द्वार हैं जिससे सारे कर्मचारियों का आवागमन होता है, एवं इसी सड़क मार्ग से पंतनगर विश्वविद्यालय एवं हवाई अड्डा भी जुड़ा हुआ है । इस पर एक सर्विस लेन रोड बनाने की प्रार्थना पत्र टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा 18.12.2017 से लेकर वर्तमान तक लगातार सभी सम्बन्धित विभागों को दिया जा चुका है जिसमें कि नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इंडिया के कार्यालय को भी पत्र द्वारा दिनांक 21.03.2018 को सूचित किया जा चुका है । कार्य प्रगति पर है परन्तु सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस कार्य का निष्पादन अतिशीध्र कराने की कृपा प्रदान की जाये।	
13	**Foot Over Bridge** के सम्बन्ध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल से लगे हुए नेशनल हाईवे जिसमें की गाड़ियों की गति बहुत तेज रहती है और अधिकांश कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं जिसमें कि निम्नलिखित जगहों पर कर्मचारियों को नेशनल हाईवे पार करना पड़ता है और उसमें दुर्धटना होने की संभावना बनी रहती है । इस दिशा में महोदय आपसे निवेदन है कि पारले चौक, ब्रिटानिया चौक और मैट्रोपोलिस मॉल के सामने फुट ओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करें जिससे की संभावित दुर्धटनाओं को रोका जा सकेगा । साथ ही साथ रेलवे स्टेशन में एक स्वचालित एक्सीलरेटर Foot Over Bridge बनवाने की दिशा में भी विचार किया जाए जिससे कि आने जाने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों और सभी यात्रियों को सुविधा मिल सके ।	चर्चा की जानी है।
14	सिडकुल में शौचालय के संबंध में –	महोदय वर्तमान में सिडकुल पंतनगर में लगभग 400 इकाईयाँ सुचारू रूप से चल रही हैं जिसमें कि लगभग डेढ़ लाख कर्मचारी का रोज आना जाना लगा रहता है। इस संदर्भ में पूरे सिडकुल में कहीं भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है । पूर्व में कुछ समय के लिए यह शौचालय अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) के आदेश पर चलाए गए थे परंतु किन्हीं अपरिवार्य कारणों की वजह से दोबारा बंद कर दिए गए। महोदय जैसा कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत की दिशा में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं । हमें उम्मीद है कि शौचालयों को दोबारा सुचारू रूप से चलाने की दिशा में आपके कार्यालय द्वारा त्वरित कार्यवाही करने की कृपा प्रदान की जाएगी।	चर्चा की जानी है।
15	पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में	महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए अवगत कराना चाहते हैं कि सिडकुल में पूर्व में प्रस्तावित पेयजल की व्यवस्था के संबंध में 10 हैंडपम्प में से दो हैंडपम्प अभी तक लग गए हैं जिसमें एक हैण्ड पम्प जो बी.सी.एच. इलैक्ट्रिक कम्पनी के पास लगायी गयी है वह काफी दिनों से खराब भी हो गया है । उसको मरम्मत कराने एवं बाकी के हैंडपम्प अतिशीध्र लगवाने का कष्ट करें । अतः महोदय, आपसे अनुरोध है कि त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें ।	चर्चा की जानी है।
16	सिडकुल में दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में	महोदय पिछले 15 वर्षों में सिडकुल में दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया है। महोदय आपको बताना आवश्यक है कि सिडकुल में जगह जगह चौराहों पर एवं सड़कों के किनारे रेड़ी पटरी वाले खाने की ठेली लगाते हैं जिनकी संख्या अत्यधिक है जिससे कि चारों तरफ कुड़े का ढ़ेर पड़ा रहता है, अग्निशमन सुरक्षा के दृष्टिकोण सही नहीं है एवं इनके द्वारा छीना–झपटी किये जाने का भी अन्देशा रहता है साथ ही साथ ये सभी लोग जो समान बेचने के लिए उपयोग करते हैं वह अधिकतर नकली होता है । अतः महोदय से निवेदन है कि दुकानें आवंटित न हो पाने के कारणों का पता लगाकर इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें	चर्चा की जानी है।
17	पंतनगर सी.ई.टी.पी. (रैम्की) द्वारा दरों में की जा रही वृद्धि के संबंध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि कोविड–19 महामारी से उद्योग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुये हैं। उद्योगों की स्थिती में धीरे धीरे सुधार हो रहा है ऐसे में प्रत्येक वर्ष पंतनगर सी.ई.टी.पी. (रैम्की) द्वारा दरों मे वृद्धि की जा रही है। पिछले वर्ष 2021–22 में लगभग रू. 7/– प्रतिलीटर की वृद्धि कर दी गयी एवं पुनः इस वर्ष 2022–23 के लिए भी लगभग रू. 9/– प्रतिलीटर की वृद्धि की जा रही है। उद्योग अभी इस स्थिती में बढ़ी हुयी दर को देने में सक्षम नहीं हैं। बहुत उद्योगों में अभी उत्पादन सामान्य से नीचे है। अतः महोदय आप से निवेदन है कि उद्योगों की वर्तमान हालात को देखते हुये उचित कार्यवाही करने का दिशा निर्देश दें।	चर्चा की जानी है।
18	औद्योगिक सम्बन्ध (आई.आर) से सम्बन्धित	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर में औद्योगिक सम्बन्ध (आई.आर) की स्थिती दिन	चर्चा की जानी है।

		प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है कुछ श्रमिक संगठनों द्वारा संयुक्त श्रमिक संगठन के नाम से आये दिन सिडकुल पंतनगर के अन्दर धरना प्रर्दशन, भूख हडताल जैसे कार्य किये जा रहे हैं जो कि उद्योगों के लिए सही नहीं है। महोदय, जिला प्रशासन द्वारा श्रमिक संगठनों को अपने अधिकारों के लिए धरना प्रर्दशन करना एवं अपनी बातों को सही ढंग से रखने के लिए गांधी पार्क को चिन्हित किया गया है। महोदय आपसे निवेदन है कि ऐसे किसी भी प्रकार के धरना प्रर्दशन के लिए सिडकुल पंतनगर क्षेत्र के अन्दर इजाजत नहीं दी जाये एवं उन्हें चिन्हित किये गये स्थान पर ही धरना प्रर्दशन करने की इजाजत दी जाये ।	
19	अघोषित विद्युत कटौती के सम्बन्ध में	महोदय आपको अवगत कराना चाहते हैं कि विगत कुछ दिनों से यू.पी.सी.एल. द्वारा अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। यह कटौती लगभग प्रतिमहीने 80 घन्टे तक की जा रही है जिससे उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महोदय आपको यह भी अवगत कराना चाहते हैं कि लगातार प्रक्रिया वाले उद्योग में भी विद्युत कटौती बिना किसी पूर्व सूचना के की जा रही है। ऐसे उद्योग भी हैं जहां फरनेस, हीट ट्रीटमेन्ट एवं लगातार प्रक्रिया वाले उद्योगों को कच्चे माल का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश देने की कृपा प्रदान करें।	चर्चा की जानी है।
		के0जी0सी0सी0आई0 से सम्बन्धित बिन्दु	
1	मैथनॉल के लाईसेन्स की वैधता 5 साल के लिए किये जाने के सम्बन्ध में	महोदय, उद्योगों में उपयोग होने वाले मैथनॉल लाईसेंस की वैधता केवल 1 वर्ष के लिए होती है। 1 वर्ष बाद पुनः लाईसेन्स जारी कराने में उद्यमियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समय–समय पर प्रशासनिक फेरबदल अथवा विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में व्यस्तता के कारण समय से लाईसेन्स जारी न होने की स्थिति में उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। अतः आपसे अनुरोध है कि मैथनॉल के भण्डारण हेतु जिलाधिकारी कार्यालय से 1 वर्ष के लिए जारी होने वाले लाईसेन्स की वैधता 5 साल के निर्धारित की जानी चाहिए।	चर्चा की जानी है।
2	रूद्रपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 एवं 87 के अधूरे निर्माण के कारण यातायात में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में	महोदय, आपको अवगत कराना है कि रूद्रपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग–74 एवं 87 पर विभिन्न स्थानों पर फोरलेन का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण एक लम्बे समय से वाहनों के आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है वहाँ पर समुचित रूप से मेन्टीनेंस नहीं कराया जा रहा है। चूँकि शहर में वाहनों के यातायात का दवाब बहुत अधिक है, अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों राजमार्गों के वर्षों से लम्बित अधूरे निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
3	रूद्रपुर–नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–87 पर लागू ''नो एण्ट्री'' को समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में	महोदय, रूद्रपुर–नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–87 पर रूदपुर में दिन के समय ''नो एण्ट्री'' लागू होने के कारण सिडकुल में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों का कच्चा एवं तैयार माल समय से नहीं पहुँच पाता। नो एण्ट्री लागू होने के समय पर ही बहुत से वाहन शहर में प्रवेश्स कर जाते हैं लेकिन औद्योगिक इकाईयों में न पहुँच पाने के कारण वाहनों का एक दिन का अधिक भाड़ा लग जाता है जिससे वस्तुओं की उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। अतः रूद्रपुर में ''नो एण्ट्री'' को समाप्त कर भारी वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन की व्यवस्था करायी जानी चाहिए।	चर्चा की जानी है।
4	महुआखेड़ागंज रेलवे क्रॉसिंग से खाईखेड़ा तक रोड की मरम्मत के सम्बन्ध में	महोदय, आपको अवगत कराना है कि महुआखेड़ागंज रेलवे क्रॉसिंग से खाईखेड़ा तक मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों के प्रतिदिन बड़ी संख्या में आवागमन होने से, उक्त रोड की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है। इससे जहां एक ओर महुआखेड़ागंज में विकसित औद्योगिक आस्थानों में कार्यरत उद्योगों की गतिविधियाँ	चर्चा की जानी है।

		प्रभावित हो रही हैं वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की जनता को भी आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त रोड की यथाशीघ्र मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।	
5	काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित औद्योगिक आस्थान की समस्याओं के सम्बन्ध में	आपको अवगत कराना है कि काशीपुर स्थित औद्योगिक आस्थान में सड़कों एवं नालियों के ध्वस्त होने से बरसात का एवं उद्योगों से निकलने वाला पानी औद्योगिक आस्थान की सड़कों में ही भरा रहता है। इससे यहाँ पर कार्यरत उद्योगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि उक्त औद्योगिक आस्थान में सड़कों की मरम्मत एवं ध्वस्त नालियों की तत्काल सफाई एवं निर्माण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
6	सिडकुल औद्योगिक आस्थान, बाजपुर–1 (सुल्तानपुर पट्टी) की समस्याओं के सम्बन्ध में	महोदय, बाजपुर–1, पिपलिया, सुल्तानपुर पट्टी स्थित औद्योगिक आस्थान में एक लम्बे समय से विकास एवं रख–रखाव कार्य न होने से नालियों, सड़कों तथा स्ट्रीट लाईटों का अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो गया है। इससे औद्योगिक आस्थान में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जबकि सिडकुल द्वारा यहाँ पर कार्यरत उद्योगों से नियमित रूप से मेन्टीनेंस चार्ज लिया जा रहा है। उक्त औद्योगिक आस्थान में कार्यरत रेडिको खेतान लि0 के सामने वाली सर्विस रोड की स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के कारण उस पर कम्पनी के लोडेड/अनलोडेड वाहनों का आवागमन अत्यन्त मुश्किल हो गया है तथा वाहनों के गुजरने पर इकाई परिसर में हर समय धूल का गुब्बार छाया रहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि रेडिको खेतान के सामने वाली सड़क का निर्माण, पानी के निकास हेतु नालियाँ, स्ट्रीट लाईटों एवं नियमित सफाई की व्यवस्था हेतु कार्यवाही करने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
7	रूद्रपुर में नवनिर्मित ईएसआईसी अस्पताल को चालू कराए जाने एवं उक्त अस्पताल से सिडकुल के लिए कनेक्टिंग रोड का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि रूद्रपुर में निर्मित ईएसआई अस्पताल को अभी तक समुचित रूप से चालू नहीं किया गया है जिसके कारण श्रमिकों को उपचार में अत्यधिक परेशनी का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अस्पताल को अतिशीघ्र चालू कराए जाने तथा सिडकुल के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के इलाज हेतु ईएसआई अस्पताल में आने–जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ईएसआई अस्पताल से सिडकुल तक कनेक्टिंग रोड का निर्माण कराने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
8	एल्डिको – सिडकुल औद्योगिक पार्क, सितारगंज से चोरगलिया तक सड़क की मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में	महोदय, आपको अवगत कराना है कि एल्डिको–सिडकुल औद्योगिक पार्क, सितारगंज से चोरगलिया के मध्य सड़क की स्थिति अत्यन्त जर्जर हो गयी है जिससे औद्योगिक पार्क के उद्योगों में कार्यरत श्रमिक एवं प्रबन्धन वर्ग के अधिकारियों को हल्द्वानी आने–जाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेता बजरी लदे डम्परों का अधिक आवागमन होने के कारण यह सड़क मरम्मत के उपरान्त शीघ्र ही जर्जर स्थिति में पहुंच जाती है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सड़क की उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप मरम्मत कराने हेतु कार्यवाही करने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
9	एल्डिको–सिडकुल औद्योगिक पार्क, सितारगंज के फेज–2	महोदय, आपको अवगत कराना है कि एल्डिको–सिडकुल औद्योगिक पार्क, सितारगंज के उद्योगों में विद्युतापूर्ति हेतु फेज–2 में विद्युत सब–स्टेशन के निर्माण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है।	चर्चा की जानी है।

	में विद्युतापूर्ति हेतु नए सब–स्टेषन निर्माण के सम्बन्ध में।	इसके निर्माण के उपरान्त ही औद्योगिक पार्क में कार्यरत उद्योगों में निर्बाध विद्युतापूर्ति सम्भव हो सकती है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सब–स्टेशन के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।	
10	उद्योगों में निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, दिनाँक 18 अप्रैल, 2022 को माननीय मुख्यमन्त्री, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ काशीपुर में आयोजित बैठक में हमारे द्वारा अवगत कराया गया था कि गर्मी का सीजन शुरू होते ही यूपीसीएल द्वारा काशीपुर, रूद्रपुर व जनपद ऊधम सिंह नगर के विभिन्न स्थानों में कार्यरत उद्योगों में प्रतिदिन 10–12 घण्टे की रोस्टरिंग शुरु कर दी गयी है। रोस्टरिंग के कारण उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। उद्योगों का अपनी पूरी क्षमता के साथ उत्पादन न कर पाने के कारण उनके कमिटमेण्ट भी समय से पूरे नहीं हो पा रहे हैं जिससे उन्हें अत्यधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। रोस्टरिंग के कारण कन्टीन्युअस प्रोसेस के उद्योगों को तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अतः अपसे विनम्र अनुरोध है कि उद्योगों को रोस्टरिंग की समस्या से छुटकारा दिलाए जाने हेतु शासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमन्त्री जी द्वारा देहरादून में यूपीसीएल के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें उद्योगों में विद्युतापूर्ति सुचारू रूप से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उसके परिणामस्वरूप उद्योगों की विद्युतापूर्ति में काफी सुधार हुआ है लेकिन उद्योगों में अभी भी निर्बाध रूप से विद्युतापूर्ति नहीं की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उद्योगों में निर्बाध रूप से विद्युतापूर्ति सुनिश्चित कराए जाने हेतु आप अपने स्तर से सकारात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
11	सिंगल विण्डो सिस्टम के अन्तर्गत उद्यमियों को आ रही परेशानियों को दूर कराए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत उद्योग विभाग में ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात विभिन्न विभागों में उद्यमियों को स्वयं जाकर कागजात जमा कराने की आवश्यकता पड़ती है। इससे उद्यमियों के लिए सरकार की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की अवधारणा भी पूर्ण नहीं होती तथा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। चूँकि ऑनलाईन आवेदन करते समय उद्यमियों द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर दी जाती हैं, अतः उद्यमियों को सम्बन्धित विभागों में भौतिक रूप से कागजात जमा कराए जाने के प्रावधान को खत्म किया जाना चाहिए। उद्यमियों के लिए केवल सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र ही एकमात्र सम्पर्क केन्द्र होना चाहिए। उद्योग विभाग द्वारा ही अन्य विभागों से समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करायी जानी चाहिए तथा सभी विभागों द्वारा एक समय सीमा के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिए जाने चाहिए। यदि निश्चित समय सीमा के अन्दर कोई विभाग अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं देता है तो उस विभाग की स्वतः ही अनापत्ति माने जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब कोई उद्यमी सिंगल विण्डो सिस्टम में आवेदन करता है तो जिस भूमि पर वह उद्योग लगा रहा है उस भूमि का विवरण उद्योग विभाग द्वारा सम्बन्धित सहायक कलैक्टर/उप जिलाधिकारी को भेजा जाए तथा उद्योग विभाग द्वारा ही ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धारा 143–क के अनुसार उक्त भूमि के अकृषक होने का आदेश पारित हो जाए। इस प्रावधान से उद्योग का उत्पीड़न से बचाव के साथ ही भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा।	चर्चा की जानी है।
12	राज्य कर विभाग द्वारा	आपको अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 (Uttarakhand Value Added Tax	चर्चा की जानी है।

	उत्तराखण्ड वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 के अन्तर्गत लम्बित केसों में उद्यमियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।	Act, 2005) के अन्तर्गत लम्बित केसों का राज्य कर विभाग द्वारा अभी तक निराकरण नहीं किया गया था। अब राज्य कर विभाग द्वारा उद्यमियों एवं व्यापारियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एकतरफा कार्यवाही की जा रही है। विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त लम्बित केसों के सम्बन्ध में पूर्व में कोई तवज्जो नहीं दी गयी परन्तु अब उद्यमियों एवं व्यापारियों को अपनी बात कहने का अवसर दिए बिना ही उनके विरुद्ध आनन–फानन में एकतरफा कार्यवाही की जा रही है जो कि किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है। इससे उद्यमियों एवं व्यापारियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में उद्यमियों/व्यापारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान कर Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 की सामान्य टैक्स व्यवस्था के अन्तर्गत ही लम्बित केसों का निस्तारण किया जाना चाहिए।	
13	रूद्रपुर में ट्राँसपोर्ट नगर की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में	महोदय, रूद्रपुर औद्योगिक शहर होने के कारण यहाँ उद्योगों के तैयार एवं कच्चा माल के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले ट्रकों के पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जहाँ भारी वाहनों को खड़ा करने में उनके चालकों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर इन वाहनों के जहाँ–तहाँ खड़े होने के कारण सड़कों पर आम यातायात भी बाधित होता है जिससे दुर्घटनाओं की भी सम्भावना बनी रहती है। अतः आपसे अनुरोध है कि माल परिवहन से जुड़े भारी वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु रूद्रपुर में ट्राँसपोर्ट नगर की स्थापना कराने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
14	रूद्रपुर में वेयरहाऊस की स्थापना के सम्बन्ध में	महोदय, रूद्रपुर में कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को देखते हुए यहाँ पर वेयरहाऊसों की व्यवस्था नहीं है जिससे औद्योगिक इकाईयों में निर्मित तैयार माल उनमें सुरक्षित रखा जा सके तथा उसके बाद वहीं से उसे बाहर के लिए डिस्पैच किया जा सके। रूद्रपुर में वस्तुओं का ज्यादा परिमाण में भण्डारण करने हेतु वेयरहाऊसों का निर्माण कराया जाना नितान्त आवष्यक है। ये निर्यात को प्रोत्साहित करने में अत्यधिक उपयोगी साबित होंगे।	चर्चा की जानी है।
15	केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ''हिमाचल प्रदेश (हि.प्र.) एवं उत्तराखण्ड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017'' की समयावधि में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में।	आपको अवगत कराना है कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनाँक 23 अप्रैल, 2018 को उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए ''हिमाचल प्रदेष (हि.प्र.) एवं उत्तराखण्ड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017'' की घोषणा की गयी थी जो कि 01.04.2017 से 31.03.2022 तक प्रभावी है। उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के उपरान्त 18 माह के भीतर कॉमर्शियल प्रोडक्शन प्रारम्भ करने पर उद्योगों को स्कीम का लाभ लेने की पात्रता शर्त रखी गयी है अर्थात् जो इकाईयाँ स्कीम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि से 18 माह के अन्दर अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरु कर देंगी वही इकाईयाँ स्कीम में वर्णित प्रोत्साहनों का लाभ लेने की पात्र होंगी। कोविड–19 के संक्रमण के मद्देनजर दिनाँक 22 मार्च, 2020 से सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लागू होने के कारण आम जनमानस, श्रमिक, उद्योग प्रबन्धनवर्ग एवं वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित होने के कारण उद्यमी उक्त स्कीम का लाभ नहीं उठा पाए। इस दौरान जिन उद्योगों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है वे भी अपना वाणिज्यिक उत्पादन स्कीम में निर्धारित समयावधि में शुरु नहीं कर पाएंगे। महोदय, गत 2 वर्षों में कोविड संक्रमण के कारण सभी विकास कार्य बहुत धीमी गति से चले एवं उद्यमियों का ध्यान नए उद्योग लगाने की तरफ ज्यादा नहीं रहा। इस कारण से प्रदेश में जो नए उद्योग लगने चाहिए थे वे नहीं लग पाए। अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 की अवधि 31	चर्चा की जानी है।

		मार्च, 2022 से बढ़ा कर 31 मार्च, 2027 तक कराये जाने हेतु शासन स्तर से कार्यवाही कराने की कृपा करें ताकि जिस उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा स्कीम की घोशणा की गयी थी उसकी पूर्ति हो सके।	
16	औद्योगिक प्लॉटों को फ्री–होल्ड किए जाने के सम्बन्ध में	शासन द्वारा औद्योगिक आस्थानों में उद्योगों को लीज पर भूमि दी हुई है। इनमें से विभिन्न उद्योगों को औद्योगिक आस्थानों में कार्यरत रहते काफी समय बीत चुका है तथा उनके भूखण्डों की कीमत भी पूरी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में स्थापित ऐसे उद्योग जिन्हें कार्यरत रहते 15 वर्ष या उससे भी अधिक का समय बीत गया है तथा उनके भूखण्डों की कीमत भी पूरी हो गयी है, ऐसे उद्योगों की भूमि को फ्री–होल्ड कराने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
17	भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में	आपको अवगत कराना है कि राज्य में सर्किल रेट का 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लेकर भू–उपयोग परिवर्तन किया जा रहा है। राज्य की विशम भौगोलिक परिस्थिति, सर्किल रेटों में बेतहाशा वृद्धि तथा उस पर भी सर्किल रेट का 10 प्रतिषत चार्ज लेकर भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने से राज्य में पूँजी निवेष आकर्षित नहीं हो पा रहा है। इससे राज्य के औद्योगिक विकास का क्रम निरन्तर घटता जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि औद्योगिक गतिविधियों हेतु भू–उपयोग परिवर्तन कराये जाने पर लागू सर्किल रेट का 10 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज समाप्त कराने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
18	सीडा द्वारा औद्योगिक इकाईयों को कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में	महोदय, आपको अवगत कराना है कि सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में उद्योगों के प्रोजेक्ट कम्पलीट होने पर सीडा द्वारा कम्पलीशन सर्टीफिकेट दिए जाने का प्रावधान है जो कि उद्योगों द्वारा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक अति आवशयक सर्टीफिकेट माना जाता है। हमारी सिडकुल, पन्तनगर स्थित विभिन्न सदस्य इकाईयों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके प्रोजेक्ट कई वर्ष पूर्व ही कम्पलीट हो गए हैं लेकिन अभी तक सीडा द्वारा उन्हें कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्रदान नहीं किए गए हैं। इससे उन्हें ऋण इत्यादि लेने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिडकुल की ऐसी लगभग 40 फाईलें सीडा के पास लम्बित हैं। कुछ उद्योगों के प्रोजेक्ट तो 2015 में ही कम्पलीट हो गए थे। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि औद्योगिक इकाईयों को कम्पलीशन सर्टीफिकेट जारी करने हेतु सीडा को निर्देशित करने की कृपा करें।	चर्चा की जानी है।
19	इन्जीनियरिंग उद्योगों में संविदा श्रमशक्ति नियोजन करने के सम्बन्ध में	महोदय, आपको अवगत कराना है कि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र आदि राज्यों में इन्जीनियरिंग उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया में श्रम संविदा कर्मियों को रखने की अनुमति प्रदान की गयी है जबकि उत्तराखण्ड में इन्जीनियरिंग उद्योगों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। महोदय, प्रतिस्पर्धा के दौर में उद्योग की लागत इतनी बढ़ गयी है कि इन्जीनियरिंग उद्योगों को अपनी उत्पादन प्रक्रिया में ऑनरॉल कर्मचारियों को रख पाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त उद्योगों को वर्ष 2019 से कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से भी जूझना पड़ रहा है। जिससे उद्योग लडखड़ा गया है। इस महामारी के दौर में उद्योगों को अपने ऑनरॉल कर्मचारियों को कम उत्पादन एवं उद्योग बन्द रहने की स्थिति में भी वेतन देना पड़ रहा था जिससे उद्योगों की आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित हुई है। उक्त के अतिरिक्त उद्योगों में यूनियन गतिविधियों के कारण निरन्तर असन्तोष बना हुआ है। जिसके अन्तर्गत धरना–प्रदर्शन, हड़ताल, गो–स्लो उत्पादन जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। यूनियन श्रमिक अपने मनमाने ढंग से उत्पादन कार्य करते हैं जिससे उद्योगों का उत्पादन स्तर निरन्तर गिरता चला जाता है। ऐसी स्थिति में इन्जीनियरिंग उद्योगों की उत्पादन एवं आर्थिक स्थिति चरमराए नहीं, इसके लिए यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि सरकार द्वारा	

		इन्जीनियरिंग उद्योगों में श्रम संविदा कर्मियों को रखने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि उनकी उत्पादन प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहे। इस व्यवस्था से श्रम संविदा कर्मियों को भी आगक बढ़ने का अवसर मिल सकेगा जिससे वे कुशल श्रमिक बन सकेंगे अन्यथा उनके सहायक की भूमिका में ही बने रहने से उनके वेतन इत्यादि भी हमेशा प्रभावित होते रहेंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि इन्जीनियरिंग उद्योगों में श्रम संविदा कर्मियों को समुचित ट्रेनिंग के उपरान्त रखे जाने का प्रावधान सरकार द्वारा श्रम संविदा अधिनियम में किया जाना चाहिए।	
20	कशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0, काशीपुर (यूनिट–2) की स्थापना में आ रही परेशानी के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि काशी विश्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0 द्वारा उत्तराखण्ड शासन के भूमि क्रय आदेश पत्रांक 120/XVIII(II)/2020 दिनांक 07.02.2020 के द्वारा 20.4135 हेक्टे0 कृषि भूमि क्रय कर राज्य सरकार द्वारा घोषित "मेगा इन्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेन्ट पॉलिशी–2015" के अन्तर्गत ग्राम गिरध्याई, बघेलेवाला एवं शिवलालपुर अमरझण्डा, तहसील काषीपुर, जिला उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) में काशी विष्वनाथ स्टील्स प्रा0 लि0 (यूनिट–2) के नाम से एक नए उद्योग की स्थापना की जा रही है। उपरोक्त क्रय की गई भूमि के मध्य निम्नलिखित भूमि ग्राम सभा की आ रही है जिसके बदले में इकाई भूमि क्रय करके देने का तैयार है। इसकी स्थिति निम्न प्रकार है– ग्राम खसरा नं0 रकवा (हे0में) मौके की स्थिति गिरध्याई 29 0.024 33 0.073 खाद के गडडे रास्ता 34 0.012 चकमार्ग 42मि0 0.089 रास्ता 44 0.113 बंजर भूमि 46 0.081 चकमार्ग कुल–6 0.392 बघेलेवाला 2 0.040 खाद के गड्ढे शिवलालपुर अमरझण्डा 91 0.049 चकमार्ग 96 मि0 0.018 चकमार्ग कुल–2 0.067 महोदय, उक्त तालिका में दर्ज रास्ता/चकमार्ग छोटे–छोटे खेतों को आपस में जोड़ने हेतु राजस्व अभिलेखों	चर्चा की जानी है।

21		में दर्ज हैं और यह सभी सम्बन्धित खेत उक्त इकाई द्वारा क्रय की गई 20.4135 हेक्टे0 भूमि के अन्दर ही आते हैं और न ही यह सार्वजनिक उपयोग में आ रहे हैं। महोदय, इकाई उपरोक्त ग्राम सभा की भूमि रकवई 0.499 हेक्टेयर के बदले भूमि देने को तैयार हैं जिसका ग्राम सभा द्वारा जनहित में उपयोग किया जा सकेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त ग्राम सभा की भूमि के विनिमय हेतु अग्रिम कार्यवाही कराने की कृपा करें ताकि इकाई अपनी स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर सके अन्यथा समय से उत्पादन प्रारम्भ न होने के कारण इकाई पॉलिसी के लाभ से वंचित रह जाएगी।	
21	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, सिडकुल, पन्तनगर में पन्तनगर सीईटीपी प्रा0 लि0 द्वारा वाटर ट्रीटमेण्ट की दरों में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में।	महोदय, आपको अवगत कराना है कि एकीकृत औद्योगिक आस्थान, सिडकुल, पन्तनगर में विगत वर्श रैमकी कम्पनी पन्तनगर सीईटीपी प्रा0 लि0 द्वारा वाटर ट्रीटमेण्ट की दरें उद्योगों अथवा चैम्बर से विचार विमर्श किए बिना ही महाप्रबन्धक, सिडकुल से वार्ता करके रु0 49/– प्रति किलो लीटर से बढ़ाकर रु0 56/– प्रति किलो लीटर कर दी गयी थीं। यह दरें सीईटीपी की स्थापना के लगभग 4–5 साल बाद बढ़ायी गयी थीं तथापि सिडकुल की औद्योगिक इकाईयाँ इन बढ़ी हुई दरों का भार वहन करने में अपने आपको असमर्थ महसूस कर रही थीं। इसके विपरीत मात्र एक साल बाद पन्तनगर सीईटीपी प्रा0 लि0 द्वारा वाटर ट्रीटमेण्ट की दरों को महंगाई दर से जोड़ते हुए बिना आम सहमति के रु0 56/– प्रति किलो लीटर से बढ़ा कर रु0 65/– प्रति किलो लीटर कर दिया गया है। सिडकुल की औद्योगिक इकाईयों से बिना सलाह मशविरा लिए सीईटीपी कम्पनी द्वारा वाटर ट्रीटमेण्ट की दरों में वृद्धि किया जाना न्यायोचित नहीं है। वाटर ट्रीटमेण्ट की दरों में की गयी वृद्धि का विगत वर्श भी सिडकुल, पन्तनगर की औद्योगिक इकाईयों द्वारा विरोध किया गया था तथा इस वर्ष भी इकाईयाँ ट्रीटमेण्ट की इतनी ऊँची दरों पर सहमत नहीं है। महोदय, आपको अवगत कराना है कि सिडकुल की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेण्ट हेतु अपने परिसरों में स्वयं के एसटीपी/ईटीपी संयंत्र स्थापित किए हुए हैं तथा अपने निजी प्लाण्टों में पानी का ट्रीटमेण्ट करने के बाद ही वे सीईटीपी को पानी देते हैं। इस प्रकार उद्योगों पर पानी के ट्रीटमेण्ट के खर्च की दोहरी मार पड़ रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि सीईटीपी कम्पनी द्वारा मनमाने तरीके से बढ़ाई गयी वाटर ट्रीटमेण्ट की दरों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए।	चर्चा की जानी है।
22	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से		